Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 8.886|
Vol. 18 Issue 11, Nov- 2023
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

भारत में ग्राम विकास योजनाऐं : एक सैद्धांतिक विश्लेषण

दीपेश सारसर, शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग,
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, रोहतक

डॉ॰ पवन आर्य, सहायक प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग,
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, रोहतक

सारांश :

भारतीय सशक्त लोकतंत्र का आधार पंचायती राज संस्थाओं को माना गया है। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि प्रतिदिन गांवों में परिवर्तन की नई–नई परिभाषाएं लिखने में व्यस्त हैं। ग्राम पंचायतों के माध्यम से गांवों में विकेंद्रीकरण विस्तार फैल रहा है, जिससे ग्राम पंचायतों पर जनसहभागिता और कल्याणकारी कार्य करने की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की प्रथम सीढ़ी माना जाता है।प्रस्तुत प्रपत्र में ग्रामीण विकास योजनाओं को वर्णित किया गया है। यह विश्लेषण द्वितीय स्त्रोत्तों पर आधारित है। जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास के ऐतिहासिक पहलुओं को विश्लेषित कर स्थानीय स्वशासन इकाईयों में प्रचलित प्रवृतियों को दर्शाना है।

विशेष शब्द :पंचायती राज संस्थाऐं, याजनाऐं, ग्रामीण विकास

भूमिका :

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज भी यहाँ जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गांवों में निवास करता है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है, ऐसा हम सदियों से सुनते आ रहे हैं।[1] इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को आधार मानते हुए भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को त्रिस्तरीय ढ़ांचे में वर्गीकृत किया गया है:– केन्द्रीय प्रशासन, राज्य प्रशासन व स्थानीय प्रशासन। वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हमारे संविधान का मूल आधार है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की सफलता के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ राज्य व्यवस्था माना गया है, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था में जनता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी रहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है विकेंद्रित सत्ता, क्योंकि स्थानीय स्तर पर लोगों को अपनी दैनिक समस्याओं का हल करने का अधिकार न दिया जाए तो लोकतंत्र व कल्याणाकारी राज्य के कोई मायने नहीं रहते। स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था करना आवश्यक हो जाता है और इसी का परिणाम पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें ग्राम पंचायतें इसकी प्राथमिक इकाई के रूप में कार्य करती हैं। इसको हम सुशासन की इकाई भी कह सकते हैं और सुशासन का आधार

भी।[2] यदि किसी भी देश की प्रगति और वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना है तो ग्रामीण विकास पर नजर डालनी आवश्यक है। भारतीय गांवों के विकास पर दृष्टि डाली जाए तो स्वतंत्रता पूर्व व स्वतंत्रता के बाद ग्राम विकास के लिए निम्नलिखित सकारात्मक प्रयास किए गए थे।

रवीन्द्रनाथ टैगोर योजना :

रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1914 में स्थापित विश्व–भारती ने 1921 में अपने ग्रामीण पुनर्निर्माण विभाग के बैनर नीचे 'श्री निकेतन सूरज ग्राम परियोजना' की शुरूआत की थी। इस परियोजना का ध्येय था कि गांव का विकास ग्रामीणों की अपनी समझ से हो। इस परियोजना के तहत ग्रामीण समस्याओं की सर्वेक्षण द्वारा जानकारी प्राप्त कर शिक्षा, स्वास्थ्य व जनकल्याण को बढ़ाने का प्रयास किया गया था। परियोजना के अंतर्गत कुटीर उद्योगों को बढ़ावा और किसानों को पशु नस्ल सुधार की जानकारी भी दी गयी थी। ग्राम रक्षा के लिये बालचर संगठन बनाये गए थे। नेताओं, स्वयंसेवकों, बालचरों के प्रशिक्षण हेतु गांवों में कैंप लगाने, व मनोरंजन के लिए नाटक तथा खेलकूद का भी प्रबंध योजना के अंतर्गत किया गया था। यह परियोजना कुछ समय के लिये तो सफल रही। लेकिन बाद में जनसहभागिता की कमी, सरकार का असहयोग, स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को वेतन न मिलना इस योजना के विफल होने के मुख्य कारण रहे। योजना की उत्त्पति व्यक्ति विशेष द्वारा हुई इसलिए जन सहयोग भी सतत् रूप से न मिल सका जो इस योजना के असफल होने का कारण रहा।

गुड़गाँव योजना :

वर्ष 1920 से 1926 के दौरान गुड़गांव जिले के उप–आयुक्त श्री एफ.एल ब्रॉयन ने कृषि उपज बढ़ाने, फिजूलखर्ची रोकने, स्वास्थ्य में सुधार लाने, स्त्री विकास व गृह विकास जैसे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर एक परियोजना लागू की थी जिसे गुड़गांव योजना के नाम से जाना जाता है। जब तक ब्रॉयन रहे तब तक यह परियोजना सफल रही। उनके चले जाने के बाद जनता व योजना में लगे कार्यकर्ताओं में उत्साह कम हो गया। प्रचार–प्रसार भी नहीं हो पाया। उचित मूल्यांकन व उससे निकले नतीजों पर कार्रवाई करने का भी अभाव रहा। अतः योजना से सीख मिलती है कि यदि सरकारी अधिकारी रूचि लें और जनसहभागिता हो तो विकास के कार्यों को प्रभावी सफलता मिलती है।

कसम्बा ग्राम विकास परियोजना :

श्री वी.टी. कृष्णमाचारी द्वारा वर्ष 1931–1932 के दौरान बड़ौदा में 'कसम्बा ग्राम विकास परियोजना' का शुभारम्भ किया। योजना गांवों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार, ग्रामोद्योगों का विकास करने व सामाजिक विकास को ध्यान में रखकर चलाई गई थी। यह योजना भी शुरू में तो अन्य योजनाओं की तरह सफल रही। किंतू इस योजना को भी व्यक्तिगतआधार होने के कारण आम लोगों का सहयोग नहीं मिल सका और अंततः योजना सतत् रूप से नहीं चल पाईं।

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 8.886|
Vol. 18 Issue 11, Nov- 2023
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

बम्बई योजना :

बम्बई योजना को बम्बई के आठ उघोगपतियों द्वारा तैयार किया गया था। इस योजना के मुख्य उद्देश्य 15 वर्षों में एक हजार करोड़ रूपए खर्च कर राष्ट्रीय आय को तीन गुणा करना, प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता, कृषि क्षेत्र में वृद्धि, निजी उघोगों का विकास व परिवहन साधनों का विकास करना था।

जन योजना :

बम्बई योजना के बाद श्री एम.एन.राय ने जन योजना का प्रतिपादन किया था। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया गया था ताकि समाज के शोषित वर्ग का संरक्षण विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के संचालन द्वारा किया जा सके। यह जन योजना समाजवादी विचारों से प्रभावित थी इसलिये उस पर सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया।

गाँधीवादी योजना :

इस योजना के अंतर्गत नियोजित विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तावित थी। श्री मन्नारमण ने गांधीवादी योजना का प्रतिपादन गांधी जी के सिद्धांतों के आधार पर ग्राम स्वराज प्राप्त करने के उद्देश्यों को लेकर वर्ष 1947 में मद्रास राज्य में किया था। योजना के अंतर्गत यातायात के साधनों का विस्तार, ग्राम पंचायतों का संगठन, सहकारी समितियों का निर्माण, सिंचाई के साधनों का विकास, पशुधन का विकास तथा खादी व ग्रामीण उघोगों का विकास करना था। गांधीवादी विचारधारा को समाहित कर यह एक स्वागतयोग्य योजना प्रारूप था लेकिन इसका भी क्रियान्वयन नहीं हो सका क्योंकि योजना में शहरी व ग्रामीण जीवन के बारे में सामंजस्य नहीं था और केन्द्र सरकार व विभागीय सहयोग न मिलने के कारण यह योजना भी सफल नहीं हो सकी।

भारतीय ग्राम सेवा योजना :

विलियम एच. फिशर द्वारा ग्रामीणों को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से 1947 में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में यह योजना लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जनता में विकास के कार्यों में भागीदारी बढ़ाने व संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने के लिए ग्राम स्तरीय कार्यकर्त्ताओं तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की नियुक्तियां की गई थी। चयनित जिलों में स्वास्थ्य, गृह विज्ञान, विकास, मनोरंजन, शिक्षा, कुटीर उघोग व परिवार नियोजन से सम्बंधित कार्यक्रम चलाए गये थे। प्रारम्भ में यह कार्यक्रम सफल रहा लेकिन ईसाइयों द्वारा चलाये जाने के कारण समाज के उच्च वर्ग का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ और अंततः योजना सतत् रूप से नहीं चल सकी।

इटावा प्रायोगिक योजना :

उत्तर प्रदेश में इटावा जिले से 40 कि.मी. दूर मेंहवा ग्राम को केंद्र मानकर उसके आस–पास के 56 गांवों में यह योजना अलवर्ट मायर के मार्गदर्शन में शुरू की गई थी।

योजना को 'औसत जिला योजना' के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि, विकास, सहकारिता का विकास, लोगों में आत्म–विश्वास बढ़ाना, सामुदायिक जीवन तथा स्वावलम्बन की भावनाओं का विकास करना था। योजना के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, सूचना–प्रसार, कृषि, सिंचाई, सामुदायिक विकास तथा कला व सांस्कृतिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए थे। औसत जिला योजना के परिणाम उत्साहवर्धक रहे। इस योजना की सफलता से प्रेरित होकर गोरखपुर व फैजाबाद जिलों में भी इस प्रकार की योजनाएं चलाई गई। भारत सरकार द्वारा 1952 में शुरू किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसी योजना की सफलताओं को ध्यान में रखकर शुरू किया गया था।[3]

पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास (Rural Development in Five Year Plans)

स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी। क्योंकि खाद्यानों का अभाव, कच्चे माल की मात्रा में कमी, परिवहन के साधनों का अभाव, देश विभाजन के कारण आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियाँ इत्यादि मुख्य समस्याएँ थी। आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का स्वरूप सोवियत संघ से लिया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास, कृषि विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास, मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादकता को बढ़ावा देना था। किन्तु पंचवर्षीय योजनाओं कि शुरूआत से पहले ही सैद्धांतिक प्रयास शुरू हो गए थे।[4] वर्तमान समय में पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–1956) :

पहली पंचवर्षीय योजना 'हेराल्ड डोमर मॉडल' पर आधारित थी। जिसमें लक्ष्य वृद्धि दर 2.1 प्रतिशत रखी गई थी जबकि वास्तविक वृद्धि दर 3.6 प्रतिशत रही थी। इस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा 2 अक्तुबर, 1952 को गाँधी जयन्ती पर सामुदायिक विकास व 2 अक्तुबर, 1953 को राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित किया गया था। इनका उद्देश्य ग्रामीणों का सामाजिक व आर्थिक विकास करना था। योजना में जनसहभागिता, स्थानीय नियोजन व लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जोर दिया गया था। किन्तु इनके लिए अपनाई जानी वाली पद्यतियों का वर्णन योजना में नहीं किया गया था।

दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956–1961) :

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत रखी गई थी जबकि वास्तविक वृद्धि दर 4.3 प्रतिशत रही थी। योजना में विकेंद्रित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक सहयोग व सहभागिता के महत्त्व को पहचाना गया। योजना में ग्राम नियोजन, ब्लॉक व जिला नियोजन पर जोर दिया गया तथा इनके लिए संस्थाओं के गठन की बात कही गई। वर्ष 1954 में स्थानीय शासन विभागों के मंत्रियों की बैठक हुई इसमें विचार रखा गया कि एक पंचायत की जनसंख्या 1000 से 1500 के मध्य हो तो

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 8.886|
Vol. 18 Issue 11, Nov- 2023
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

उचित रहेगा। यह प्रभावी नियोजन के लिए आवश्यक था। इसी योजना के दौरान नवंबर, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के मूल्यांकन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर पं॰ जवाहर लाल नेहरू के द्वारा गाँधी जयन्ती पर 2 अक्तुबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ किया था।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961–1966) :

योजना में यह महसूस किया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने "टेक ऑफ स्टेज" में प्रवेश किया है। इसलिए इसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। यह योजना प्रथम और द्वितीय योजनाओं के अनुभवों के आधार पर बनाई गई थी। योजना में पंचायती राज संस्थाओं को विकेंद्रीकृत नियोजन में भागीदार होने की बात दोहराई गयी थी। किन्तु वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण, 1965 में भारत–पाक युद्ध व 1965–66 में सूखा पड़ने के कारण लक्ष्य तक पहुँचने में योजना पूर्णतः विफल रही। योजना में लक्ष्य वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत रखी गई थी जबकि वास्तविक वृद्धि दर 2.8 प्रतिशत रही थी।

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–1974) :

इस पंचवर्षीययोजना में लक्ष्य वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत रखी गई थी जबकि वास्तविक वृद्धि दर 3.3 प्रतिशत रही थी। योजना ने दीर्घकालीन योजनाओं को उचित ठहराया अर्थात् योजना 15 से 20 वर्षों के लिए बनाई जानी चाहिए ताकि सामाजिक संरचना व सेवाओं की उपलब्धता की जा सके। योजना आयोग द्वारा जारी मार्गदर्शिका के आधार पर कुछ राज्यों ने तो जिला योजना बनाई परंतु वे संपूर्ण योजना को प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बना सकीं तथा जिला योजना के अंग के रूप में शहरी नियोजन प्रक्रियाओं को ग्राम नियोजन के साथ शामिल नहीं किया गया।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना (1974–1979) :

पंचवर्षीययोजना में लक्ष्य वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत रखी गई थी जबकि वास्तविक वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत रही थी। इस योजना के दौरान अनेक राज्यों में कुछ मापदंडों जैसे विकास का स्तर, जनसंख्या, क्षेत्रफल, उत्पादकता व सामाजिक संरचना के आधार पर मुख्यतः जिला स्तर पर अधिकार व शक्तियों का हस्तांतरण शुरू कर दिया गया था। इसी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1977 में दंतेवाला की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तर पर समिति का गठन किया गया था। समिति के द्वारा स्वीकारा गया कि ब्लॉक स्तर पर विभिन्न खामियां विद्यमान हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980–1985) :

योजना में लक्ष्य वृद्धि दर 5.2 प्रतिशत रखी गई थी जबकि वास्तविक वृद्धि दर 5. 7 प्रतिशत रही थी। इस पंचवर्षीय योजना के प्रारूप ने भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की

प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया था। योजना में विकेंद्रीकरण नियोजन को सुदृढ़ बनाने के लिए अशोक मेहता की अध्यक्षता में जनवरी, 1977 में समिति गठित की गई थी। यह पंयायती राज संस्थाओं में सुधारों के लिए उठाया गया एक सकारात्मक कदम था। वर्ष 1982 में योजना आयोग (नीति आयोग) ने जिला योजना पर एक कार्यदल हनुमंता राव की अध्यक्षता में गठित किया था, यह ग्राम नियोजन में महत्त्वपूर्ण घटना थी। किन्तु यह विकेंद्रीत पंचवर्षीय योजना सभी क्षेत्रों की योजना न बनकर मात्र गरीबी उन्मूलन व रोजगार सृजन की योजनाओं तक ही सिमट कर रह गई थी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–1990) :

इस योजना में लक्ष्य वृद्धि दर 5.0 प्रतिशत रखी गई थी जबकि वास्तविक वृद्धि दर 6.0 प्रतिशत रही थी। इसमें जिला नियोजन पर गठित कार्यदल के प्रतिवेदन को स्वीकारा गया और विकेंद्रीकृत नियोजन की आवश्यकता को महसूस किया गया। पंचवर्षीय योजना के शुरूआती चरण में ही 25 मार्च, 1985 को "ग्रामीण क्षेत्र विकास व गरीबी उन्मूलन" से सम्बंधित विषय पर जी.वी.के. राव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। समिति ने दिसंबर, 1985 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अनुसंशाएँ की थी। इसी पंचवर्षीय योजना में राजीव गाँधी सरकार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 64वाँ संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–1997) :

इस पंचवर्षीय योजना की खुबसूरती यह थी कि पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा सवैंधानिक दर्जा दिया गया। यह प्रयास लंबे समय से किये जा रहे थे और विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों में सिफारिशें की जा रही थी कि विकेन्द्रीकरण की राह में आ रही कमियों को दूर करने के लिए एवं पंचायतों को निश्चित्ता, निरंतरता तथा सशक्त बनाने के लिए सवैंधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में ग्राम सभा का गठन, ग्राम, ब्लॉक व जिला स्तरों पर पंचायतों का गठन, समाज के कमजोर वर्गों, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, को आरक्षण, राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य चुनाव आयोग का गठन, पंचायतों को अधिकार और शक्तियों को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने का अधिकार, कर व शुल्क लगाने का अधिकार इन संस्थाओं को दिया गया।

इसी योजना में दलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर "अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार" (PESA) अधिनियम, 1996 के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में भी पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार किया गया ताकि योजना बनाने, उन्हें लागू करने व मूल्यांकन करने में आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। योजना में लक्ष्य वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत रखी गई थी जबकि वास्तविक वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रही थी।

Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Research (JIMR)
E-ISSN:1936-6264| Impact Factor: 8.886|
Vol. 18 Issue 11, Nov- 2023
Available online at: https://www.jimrjournal.com/
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) :

योजना में लक्ष्य वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रखी गई थी जबकि वास्तविक वृद्धि दर 5. 4 प्रतिशत रही थी। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं द्वारा योजना बनाने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। ताकि इन योजनाओं में लोगों की इच्छाओं का समावेश रहे। जो कार्य राज्य सरकारें कर रही थी वे कार्य अब पंचायतों को सौपें जाने चाहिऐं। नीति निर्माण का कार्य पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र की जरूरतों व समस्यओं को ध्यान में रखकर गांव से प्रारंभ किया जाना चाहिए। इस योजना में जिला नियोजन समिति को आवश्यक माना गया और जिला स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल कर एक प्रमुख योजना टीम बनाने की जरूरत है जो कि स्थानीय सामाजिक, प्राकृतिक संसाधनों और अन्य साधनों की उपलब्धता के आधार पर योजना बनाने में पचायती राज संस्थाओं को सहयोग दे सकें।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) :

योजना में लक्ष्य वृद्धि दर 8 प्रतिशत रखी गई थी जबकि वास्तविक वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत रही थी।दसवीं पंचवर्षीय योजना में नौवीं योजना की बातों को ही दोहराया गया था। इस योजना में विकेंद्रीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम मई, 2004 में पंचायती राज मंत्रालय का गठन था। इसके गठन से पंचायती राज संस्थाओं को नवीन ऊर्जा प्राप्त हुई।

ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) :

पंचवर्षीय योजना में रामचन्द्रन की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल 2005 की सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग ने वर्ष 2006 में जिला योजनाओं के बारे में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये। योजना में जोर दिया गया कि आवश्यक जन सेवाओं की प्रदायगी के नियोजन, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण में स्थानीय जन प्रतिनिधियों की पूर्ण भूमिका होनी चाहिए। इसमें तीन तरह की योजनओं पर जोर दिया गया जिसमें दीर्घकालीन योजना, अल्पावधिक विकास योजना और विशिष्ट परियोजनाओं व स्कीमों से संबंधित योजनाऐं। योजना में लक्ष्य वृद्धि दर 9 प्रतिशत रखी गई थी जबकि वास्तविक वृद्धि दर 8 प्रतिशत रही थी।[5]

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) :

बारहवीं योजना में द्वि–उद्देशीय कार्यनीति का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें शुरूआत में आर्थिक असंतुलनों को नियंत्रण में लाने और मंदी के दौर से उबरने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों पर जोर दिया गया है, जो मध्यम अवधि में विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक थे। योजना में रखा गयाउद्देश्य वर्ष 2017 तक सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना, 50 प्रतिशत जनसंख्या को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना एवं पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से नीति नियोजन में जनसहयोग प्राप्त करना था।[6]

निष्कर्ष :

इन प्रयासों से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले किए गये प्रयास व्यक्तिनोमुख थे जो कि लोगों की जनसहभागिता सुनिश्चित नहीं कर सके। उनको सरकार व प्रशासन का सहयोग भी प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि ब्रिटीश सरकार अपनी व्यापारिक गतिविधियों पर जोर देती थी, न की ग्रामीण विकास पर। स्वतंत्रता के बाद के ग्राम विकास कार्यक्रमों को पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से वर्णित किया गया है।

सदंर्भसूची :

[1]मिश्रा, एस.के. (2008, अगस्त). *ग्रामीण विकास की धुरी है पंचायती राज.* कुरूक्षेत्र. नई दिल्ली : ग्रामीण विकास मन्त्रालय, *54*(48), 10

[2]कुण्डू, राजेश. (2016, अगस्त). सुशासन के लिए पंचायतों को उनके अधिकारों व शक्तियों के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता. *पंचायती राज अपडेट,* नई दिल्ली : इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइसेज, *9*(8), 6

[3]महीपाल, (2016). *ग्राम नियोजन.* नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास. 1–6

[5]महीपाल, (2016). *ग्राम नियोजन.* नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास. 7–20

[6]भारत सरकार, (2012–2017). बारहवीं पंचवर्षीय योजना. *तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास,* नई दिल्ली : योजना आयोग